अति आवश्यक
आज ही जारी हो

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्रमांक : F29(36)NRHM/MMJRK/circular/09/4852 दिनांक : 30/10/09

परिपत्र

जैसा कि आपको विदित है कि मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना का प्रारम्भ राज्य में 1 जनवरी 2009 से किया गया। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के बी0पी0एल0 परिवारों के मरीजों का मेडिकल कॉलेज से सम्बन्ध चिकित्सालयों, जिला, उप खण्ड एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के आउटडोर एवं इन्डोर में निःशुल्क ईलाज किया जाता है।

इस योजना मे मेडिकल कॉलेज एवं इनसे संबंद्व चिकित्सालयों में रोग संबंधी उपचार एवं निदान की सुविधा नहीं होने पर राज्य के बाहर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा स्नात्कोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चण्डीगढ़ में मरीजों को रैफर भी किया जाता है।

इस योजना के संबंध मे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग द्वारा राज्यादेश क्रमांक प0 19(2)चिस्वा/2/2009 दिनांक 29.01.2009 एवं परिपत्र क्रमांक दिनांक 05.02.2009 को जारी किये हैं। इन दोनों की प्रति सभी चिकित्सा संस्थानों को भिजवाई जा चुकी है। इन राज्यादेश एवं परिपत्रों को विभागीय वैबसाईट www.rajswasthya.nic.in पर भी अपलोड किया गया है तथा विभागीय त्रैमासिक पत्रिका निरामया, जुलाई 2009 अंक 48 में भी योजना का प्रकाशन किया गया है। इसके अतिरिक्त इस योजना के संबंध में मार्गदर्शिका भी जारी की हुई है। इस मार्गदर्शिका एवं राज्यादेश में इस बाबत विस्तृत निर्देश दिये हुए हैं कि बीपीएल परिवारों के मरीजों का निःशुल्क ईलाज एवं उपचार किस प्रकार से किया जावेगा। मार्गदर्शिका एवं राज्यादेश में यह निर्देशित किया हुआ है कि बीपीएल परिवार के मरीज के ईलाज हेतु निःशुल्क दवाईयाँ, निःशुल्क जाँच, निःशुल्क कृत्रिम अंग/उपकरण एवं निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

बीपीएल परिवार के मरीजों की सहायता हेतु चिकित्सालय में एक बीपीएल सहायता काउन्टर की स्थापना की जायेगी। बीपीएल सहायता काउन्टर एवं औषधि वितरण केन्द्र की कार्यप्रणाली एवं व्यवस्था को सुचारु रुप से चलाने हेतु इस विभाग की स्वीकृति आदेश क्र. एफ29(37)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/उदयपुर/09/3966, दिनांक 10.09.2009 के द्वारा संविदा के आधार पर स्टाफ की नियुक्ति एवं उपकरणों के क्रय करने हेतु स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

योजना के अन्तर्गत लाभान्वित बीपीएल मरीजों का मेडिकल कॉलेजों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तक का प्रतिदिन का विवरण NIC द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर पर आवश्यक रुप से ऑनलाईन किया जावे।

दिनांक 8 जुलाई, 2009 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय (वित्त मंत्री) ने विधान सभा में वर्ष 2009–10 का जो बजट प्रस्तुत किया उसमें यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य की पुरानी बीपीएल सूची के जिन लोगों के नाम नई सूची में नहीं आये हैं उनको स्टेट बीपीएल मानते हुए मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष के माध्यम से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जावेगी। इस परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप 2) विभाग ने पत्र क्रमांक प19(2)चिस्वा/2/2009, दिनांक 14.07.2009 के द्वारा यह निर्देश जारी किये हैं कि पुरानी बीपीएल सूची के जिन लोगों के नाम नई बीपीएल सूची में नहीं आये हैं उनको स्टेट बीपीएल मानते हुए मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के प्रारंभ होने के पश्चात् इस विभाग द्वारा अग्रिम राशि जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से चिकित्सालयों को निम्न प्रकार से अब तक उपलब्ध करवाई जा चुकी है –

क्र.सं.	चिकित्सालय	राशि (लाख रुपयों में)
1	प्रत्येक मेडिकल कॉलेज को संबंधित चिकित्सालयों को राशि देने हेतु (झालावाड़ मेड़िकल कॉलेज को छोड़कर)	175.00
2	सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर	250.00
3	प्रत्येक जिला/उप खण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालय	15.00
4	प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	3.00
5	प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	0.30

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना हेतु राज्य सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। समय–समय पर समस्त चिकित्सा संस्थानों को यह भी निर्देशित किया जाता रहा है कि प्राप्त राशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने पर तुरन्त चिकित्सा संस्थान को राशि इस विभाग द्वारा रिलीज कर दी जावेगी।

उच्चतम स्तर पर योजना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि बीपीएल परिवार के मरीजों को चिकित्सालयों से निःशुल्क दवाई उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है जो कि राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है। अतः सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि वे बीपीएल परिवारों के मरीजों को निःशुल्क दवाई, निःशुल्क जाँच, निःशुल्क कृत्रिम अंग/उपकरण एवं निःशुल्क परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवायें। इस योजना के सफल क्रियान्वयन में किसी भी

चिकित्सा संस्थान को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़े तो तुरन्त मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वस्थ्य मिशन या परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना को सूचित करें।

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना गरीबों के निःशुल्क ईलाज के लिये चलाई गई एक महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट योजना है। अतः इस योजना में समस्त चिकित्साकर्मीयों का भी यह महत्त्वपूर्ण दायित्व है कि बीपीएल परिवार के मरीज को चिकित्सालय में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े तथा साथ ही उसे ईलाज हेतु किसी प्रकार की राशि व्यय नहीं करनी पड़े। बीपीएल मरीजों के प्रति चिकित्साकर्मीयों को पूर्णतः संवेदनशील रहने एवं मरीजों को दवा, जाँच एवं परामर्श के लिये इधर–उधर नहीं भटकना पड़े इसकी पुख्ता व्यवस्था करने एवं इस हेतु बीपीएल सलाहकार/परामर्शकर्मी की पूर्ण एवं सक्रिय सेवा लिये जाने के निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

(भवानी सिंह देथा)
मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
6. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर।
7. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक/अधीक्षक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, राजस्थान।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला/सैटेलाइट/उप खण्ड चिकित्सालय।
12. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
13. समस्त प्रभारी अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।
14. समस्त प्रभारी अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।
15. प्रभारी सर्वर रुम को प्रेषित कर लेख है कि कृपया संबंधित को ई मेल करावे का श्रम करावें।

(भवानी सिंह देथा)
मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन